

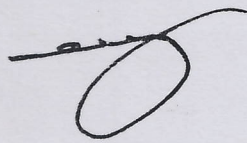
गेहूं आवंटन आदेश माह मार्च, 2023**(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)**

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-4/2019-बी.पी.-IIA (ई-368491), दिनांक 16.12.2021 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह मार्च, 2023** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **15.01.2023** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी।
- 4- **माह मार्च, 2023 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 फरवरी, 2023 से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना सुनिश्चित करें।**
- 5- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। **जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।**
- 7- योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।



मूल्य दुकानदार द्वारा सधारित किया जाएगा, जिसमें प्रांतादेन पोस पर पारेलाक्षित अनुसार आपानेग ए व्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवा (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवा प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

- 9- गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 10- सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।

11- ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पोस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य अवशेष स्टॉक को समायोजित कर आगामी माह का नवीन आवंटन जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें।

13- "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

14- माह मार्च, 2023 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।

15- माह मार्च, 2023 हेतु आवंटित गेहूं का चयनित पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण कराया जावेगा।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

 28.1.23
(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

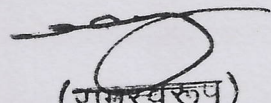
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
10. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/ निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित गेहूँ का नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारत सरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।
13. सिस्टम एनालिस्ट (खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि जनआधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों को ई-पोस से वितरण पर रोक लगाये जाने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पार्टल पर इन्द्राज कराने हेतु आगामी माह की 15 तारीख तक ऑप्सन खुलवाने की कार्यवाही करें।
14. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

20.1.23
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

NFSA Regular Wheat Allotment March-2022

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	655.534	1022.667	423.052	6239.654	8340.907
2	Alwar	708.652	1500.443	526.739	9860.645	12596.479
3	Banswara	1620.905	2607.199	779.784	3105.423	8113.311
4	Baran	1705.369	928.503	206.796	2852.471	5693.139
5	Barmer	861.843	2680.514	416.057	5801.203	9759.617
6	Bharatpur	525.251	1505.445	357.756	5883.255	8271.707
7	Bhilwara	893.674	1708.701	565.493	4677.191	7845.059
8	Bikaner	421.050	2185.061	480.714	3519.719	6606.544
9	Bundi	453.697	744.350	218.360	2655.766	4072.173
10	Chittaurgarh	992.280	1010.895	647.536	2431.858	5082.569
11	Churu	825.577	2018.518	421.632	3791.378	7057.105
12	Dausa	356.105	1157.054	170.986	4081.019	5765.164
13	Dhaulpur	305.082	708.590	149.251	2964.390	4127.313
14	Dungarpur	1168.347	2791.416	381.206	2399.572	6740.541
15	Ganganagar	415.337	1431.108	162.193	3918.547	5927.185
16	Hanumangarh	491.565	1105.862	193.492	3505.080	5295.999
17	Jaipur	467.539	1741.386	559.171	12911.827	15679.923
18	Jaisalmer	235.054	518.964	130.302	1312.014	2196.334
19	Jalor	812.734	1698.317	365.306	3631.693	6508.050
20	Jhalawar	577.388	1239.241	309.285	3597.852	5723.766
21	Jhunjhun	326.899	580.338	222.299	5516.593	6646.129
22	Jodhpur	307.106	1927.471	218.099	8349.310	10801.986
23	Karauli	574.772	1548.415	285.785	2409.662	4818.634
24	Kota	338.963	1160.679	180.695	3186.859	4867.196
25	Nagaur	601.654	1467.371	395.418	9404.390	11868.833
26	Pali	678.579	1461.703	384.423	4400.139	6924.844
27	Pratapgarh	509.607	1129.143	277.608	1699.001	3615.359
28	Rajsamand	686.058	1071.205	291.396	2630.845	4679.504
29	Sawai Madhopur	532.480	908.385	319.159	2712.097	4472.121
30	Sikar	299.348	844.937	186.211	7465.567	8796.063
31	Sirohi	369.146	670.230	213.554	2799.650	4052.580
32	Tonk	582.371	922.296	378.433	3340.517	5223.617
33	Udaipur	1858.054	4251.419	902.759	5447.891	12460.123
Total		22158.020	48247.826	11720.950	148503.078	230629.874


 (रामकृष्ण)
 उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव